भारत के राजपत्र असाधारण, के भाग-1 खंड-1 में प्रकाशनार्थ

फा. सं. 6/28/2024-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

दिनांक: 30.09.2024

जांच शुरूआत अधिसूचना
मामला सं. एडी (ओआई) - 26/2024

विषय: चिली और चीन से वर्जिन मल्टी-लेयर पेपरबोर्ड के आयातों संबंधी पाटनरोधी जांच की शुरूआत ।

फा. सं. 6/28/2024-डीजीटीआर - दि इंडियन पेपर मैन्युफैक्चरर ऐसासिएशन (जिसे आगे 'आवेदक' या "आईपीएमए" भी कहा गया है) ने यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे एडी नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष घरेलू उद्योग की ओर से एक आवेदन दायर किया है जिसमें चिली और चीन (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल की अथवा वहां से निर्यातित वर्जिन मल्टी-लेयर पेपरबोर्ड (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने का अनुरोध किया गया है।

आवेदक ने आरोप लगाया है कि विषयगत देशों में उत्पन्न या वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति हो रही है तथा उसने विषयगत देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

1. विचाराधीन उत्पाद सफेद / वर्जिन वुड पल्प, चाहें कोटेड हों या अनकोटेड से निर्मित मल्टी-लेयर बोर्ड है और इसे वर्जिन मल्टी-लेयर पेपरबोर्ड के रूप में भी जाना जाता है। विचाराधीन उत्पाद पेपर की अनेक परतों को एक साथ जोड़कर उनसे निर्मित होता है। विचाराधीन उत्पाद पेड़ों के फाइबर से पल्प द्वारा निर्मित होता है। विचाराधीन उत्पाद विभिन्न ग्रेडों में आता है। विचाराधीन उत्पाद में फोल्डिंग बॉक्स बोर्ड (एफबीबी), सॉलिड ब्लीच्ड सल्फेट बोर्ड (एसबीएस), कप स्टॉक पेपर या बोर्ड और लिक्विड पैकेजिंग बोर्ड शामिल हैं, ये सभी 140 से 150 जीएसएम की रेंज में हैं। इन्हें दो प्रमुख श्रेणियों, वर्जिन ग्रेडों जिसे पेड़ों के फाइबर से बनाया जाता है और सभी रिसाइकल्ड ग्रेड जिसे रिकवर पेपर और पेपर बोर्ड से प्राप्त फाइबर से बनाया जाता है, में वर्गीकृत किया जाता है। कोटेड / अनकोटेड सिगरेट बोर्ड और पेपर बोर्ड जो पुन: चक्रित / ब्राउन पल्प या फाइबर से निर्मित हों, विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं।

2. विचाराधीन उत्पाद अधिकांशत: अपनी मजबूती और शुद्धता के कारण पैकेजिंग उद्योग में सामग्री के रूप में प्रयोग होता है। इसे खाद्य पदार्थ, कास्मेटिक और फार्मा उत्पादों की पैकेजिंग में प्रयोग किया जाता है।

3. सॉलिड ब्लीच्ड सल्फेट बोर्ड (एसबीएस) पेपर बोर्ड एक उच्च गुणवत्ता का पेपर बोर्ड है जिसे ब्लीच्ड वर्जिन पल्प से बनाया जाता है, तथा जिसे क्ले से कोटेड किया जाता है और उसके बाद नमी से प्रतिरोध सुनिश्चित करने के लिए उपचारित किया जाता है। फोल्डिंग बॉक्स बोर्ड (एफबीबी) रासायनिक पल्प की बाहरी परत के बीच में मैकेनिकल पल्प की आंतरिक परत से बना होता है। फोल्डिंग बॉक्स बोर्ड एसबीएस पेपर बोर्ड की तुलना में कम लकड़ी का प्रयोग करता है। कप स्टॉक ग्रेड का प्रयोग खाद्य मदों के लिए डिस्पोजेबल कप और कप के आकार के कंटेनर को बनाने में प्रयोग होता है। संबद्ध वस्तु के प्रयोग में प्राय: संगत सुरक्षा विनियमों का अनुपालन अपेक्षित है।

4. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 48 के अंतर्गत शीर्ष 4805 और 4810 के अधीन वर्गीकृत है। विचाराधीन उत्पाद को आईटीसी एचएस कोड 4805 91 00, 4805 92 00, 4805 93 00, 4810 92 00 और 4810 99 00 के अंतर्गत भी आयातित किया जा रहा है। आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध वस्तु का

आयात 4802 2090, 4802 5790, 4804 1900, 4804 3900, 4804 4200, 4804 5200, 4804 5900, 4805 1900, 4810 1320, 4810 1330, 4810 1390, 4810 1430, 4810 1490, 4810 1910, 4810 1990, 4810 2200,4810 2900, 4810 3100,4810 3200,4810 3990, 4811 5110,4811 5190,4811 5910,4811 5990,4811 9099,4819 1010 और 4819 2090 सहित अन्य एचएस कोडों के अंतर्गत किया जा रहा है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

5. वर्तमान जांच में पक्षकार इस जांच की शुरूआत की तारीख से 15 दिनों के भीतर पीयूसी तथा प्रस्तावित पीसीएन यदि को हो, के बारे में अपनी टिप्पणियां प्रदान कर सकते हैं।

ख. समान वस्तु

6. संबद्ध देशों से निर्यातित और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु एक समान है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु में संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु की दृष्टि से तकनीकी विनिर्देशन, भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण के अनुसार तुलनीय विशेषताएं हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थानीय हैं। अत: वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ आवेदक घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

ग. <u>घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति</u>

7. यह आवेदन घरेलू उद्योग की ओर से दि इंडियन पेपर मैन्युफैक्चरर ऐसासिएशन द्वारा दायर किया गया है। भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित सदस्यों और घरेलू उत्पादकों ने वर्तमान जांच के लिए सूचना प्रदान की है (जिन्हें आगे आवेदक घरेलू उत्पादक कहा गया है) ।

क. सेंचुरी टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
ख. इमामी पेपर्स मिल्स लिमिटेड
ग. आईटीसी लिमिटेड
घ. जेके पेपर लिमिटेड

ड. तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एंड पेपर्स लिमिटेड

8. आवेदक ने अनुरोध किया है कि आवेदक घरेलू उत्पादक संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के निर्यातकों या भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातकों से संबंधित नहीं है। इसके अलावा, आवेदक घरेलू उत्पादकों ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है।

9. आवेदक घरेलू उद्योग के अलावा, भारत में संबद्ध वस्तु का एक अन्य घरेलू उत्पादक अर्थात् वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड है। वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के समर्थन में एक पत्र प्रस्तुत किया है।

10. उक्त के मद्देनजर और आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन की जांच के बाद प्राधिकारी प्रथमदृष्ट्या नोट करते हैं कि आवेदक घरेलू उत्पादकों का कुल भारतीय उत्पादन में प्रमुख हिस्सा बनता है और वे नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग हैं तथा यह आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

घ. संबद्ध देश

11. यह आवेदन चिली गणराज्य (चिली) और चीन जनवादी गणराज्य (चीन जन.गण.) से विचाराधीन उत्पाद के पाटित आयातों के संबंध में दायर किया गया है।

ङ. जांच की अवधि

12. आवेदक ने 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 की अवधि का जांच अवधि के रूप में प्रस्ताव किया है। क्षति जांच अवधि में 2020-21, 2021-22, 2022-23 की अवधि और जांच की अवधि शामिल होगी। प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी नियमावली पर विचार करते हुए यह जांच अवधि उचित है।

च. कथित पाटन का आधार

<u>चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य</u>

13. आवेदक ने अनुरोध किया है कि चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और चीन के उत्पादकों को यह दर्शाने का निर्देश देना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं मौजूद हैं। जब तक चीन जन. गण. से उत्पादक यह नहीं दर्शाते हैं कि ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं मौजूद हैं तब तक उनके सामान्य मूल्य को पाटनरोधी नियमावली 1995 (एडी नियमावली) के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित करना चाहिए।

14. अत: वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने भारत में देय कीमत के आधार पर चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। सामान्य मूल्य को आवेदक घरेलू उत्पादकों की उत्पादन लागत के अनुमानों को बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा तर्कसंगत लाभ मार्जिन के लिए विधिवत रूप से समायोजित करके उनके आधार पर निर्धारित किया गया है।

<u>चिली के लिए सामान्य मूल्य</u>

15. आवेदक ने दावा किया है कि उसे चिली में प्रचलित घरेलू बिक्री कीमत के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। चूंकि इस उत्पाद का कोई समर्पित टैरिफ वर्गीकृत नहीं है। इसलिए आवेदक संबद्ध देश में आयातों या संबद्ध देश से निर्यातों की कीमत पर भरोसा नहीं कर सकता है। इसके अलावा, संबद्ध देश की उत्पादन लागत संबंधी सूचना घरेलू उद्योग को उपलब्ध नहीं थी।

16. जांच शुरूआत के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने आवेदक घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत को बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय अर्थात् तर्कसंगत लाभ के लिए विधिवत रूप से समायोजित करके इसे अनुमानित किया है।

<u>निर्यात कीमत</u>

17. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के निर्यात कीमत को आवेदक द्वारा प्रदत्त आयात आंकड़ों पर विचार करते हुए निर्धारित किया गया है। निवल निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए पत्तन व्यय, अंतर्देशीय भाड़ा, समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, बैंक कमीशन और ऋण लागत पर विचार किया गया है।

पाटन मार्जिन

18. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखानाद्वार स्तर पर की गई है जो प्रथमदृष्ट्या सिद्ध करती है कि चिली और चीन से आयातित संबद्ध वस्तु के संबंध में पाटन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है। इस प्रकार इस बात के पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा भारत के घरेलू बाजार में चिली और चीन से विचाराधीन उत्पाद का पाटन किया जा रहा है।

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध

19. विभिन्न मापदंडों के संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को क्षति के आकलन के लिए विचार किया गया है। आवेदक ने पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में प्रथमदृष्ट्या सूचना उपलब्ध कराई हैं। संबद्ध देशों से आयातों में समग्र तथा सापेक्ष रूप से भारी वृद्धि हुई है जो घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम कीमत पर है। आवेदक ने दावा किया है कि आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमत में ह्रास और न्यूनीकरण किया है। इससे लाभप्रदता के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन प्रभावित हुआ है। घरेलू उद्योग के वित्तीय लाभ और नकद लाभ में क्षति अवधि में गिरावट आई है और उसे नियोजित पूंजी पर कम आय प्राप्त हुई है। संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा दुगुना हो गया है और घरेलू उद्योग के हिस्से में कम कीमत के आयातों से प्रतिस्पर्धा और अपनी लाभप्रदता से समझौता करने के बावजूद गिरावट आई है। संबद्ध देशों से पाटित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को हो रही वास्तविक क्षति के पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य हैं जो पाटनरोधी जांच को उचित ठहराते हैं।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरूआत

20. आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देशों की मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन और संबद्ध वस्तु के कथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति तथा ऐसी क्षति और पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर संतुष्ट होने के बाद और एडी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतदद्वारा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन की मौजूदगी मात्रा, और प्रभाव को निर्धारित

करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी उचित राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, एतदद्वारा पाटनरोधी जांच की शुरूआत करते हैं।

झ. प्रक्रिया

21. नियमावली के नियम 6 में यथा प्रदत्त सिद्धांतों का वर्तमान जांच में पालन किया जाएगा।

ञ. **सूचना प्रस्तुत करना**

22. निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in जिसकी एक प्रति adv11-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@govcontractor.in. पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

23. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों के जरिए संबद्ध देशों की सरकार और भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरूआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित प्रपत्र और ढंग से प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

24. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरूआत अधिसूचना, एडी नियमावली 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर वर्तमान जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है ।

25. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

26. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि इस जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना और आगे की प्रक्रिया से अवगत रहने के लिए वे निर्दिष्ट प्राधिकारी की सरकारी वैबसाइट (http://www.dgtr.gov.in/) को नियमित रूप से देखते रहें ।

ट. समय सीमा

27. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अगोपनीय अंश को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा परिचालित किए जाने या निर्यातक देशों के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर ई-मेल पतों jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in तथा उसकी प्रति adv11-dgtr@gov.in और consulatant-dgtr@govcontractor.in पर प्राधिकारी को ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और नियमावली के अनुसार अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

28. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और इस अधिसूचना में यथा निर्धारित उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करें।

29. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय मांगता है वहां उसे एडी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार समय बढ़ाने का पर्याप्त कारण बताना होगा और वह अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समयावधि के भीतर किया जाना चाहिए।

ठ. <u>गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना</u>

30. वर्तमान जांच में प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

31. ऐसे अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी से किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

32. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/या ऐसी कोई अन्य सूचना जिसके प्रदाता द्वारा ऐसी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है । ऐसी सूचना जिसके स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है या वह सूचना जिसके अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, के मामले में उस सूचना के प्रदाता के लिए प्रदत्त सूचना के साथ उसके कारणों का एक विवरण प्रस्तुत करना अपोक्षित है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

33. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना का अगोपनीय अंश उस सूचना जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई, जहां सूचीबद्ध करना संभव न हो या सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय अंश का उचित और पर्याप्त अनुकृति होना अपेक्षित है।

34. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए जिससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार को यह दर्शाना होगा कि ऐसी सूचना का सारांश नहीं हो सकता है और एडी नियमावली के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त और पूर्ण स्पष्टीकरण वाले कारणों का एक विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करना होगा कि ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है।

35. हितबद्ध पक्षकार इस जांच शुरूआत अधिसूचना के संगत पैराग्राफ के अनुसार दस्तावेजों के अगोपनीय अंश के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर अनुरोधों में दावा की गई गोपनीयता के मुद्दे पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

36. सार्थक अगापनीय अंश के बिना या नियमावली के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त और पूर्ण कारणों के विवरण के बिना किए गए

किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा गोपनीयता के दावे के लिए रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

37. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को प्राधिकारी स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक है या यदि सूचना प्रदाता सामान्य अथवा सारांश रूप में सूचना को सार्वजनिक करने या उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वे ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

38. प्राधिकारी प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार करने के बाद ऐसी सूचना को देने वाले पक्षकार के स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ड. <u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>

39. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ई-मेल कर दें।

ढ. असहयोग

40. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार तर्कसंगत अवधि के भीतर या इस जांच शुरूआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर आवश्यक सूचना देने से मना करता है या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

दर्पण जैन

(दर्पण जैन)
निर्दिष्ट प्राधिकारी